पंचनामा दिनांक- 12-10-2025
स्थान- ग्राम जलेरा (बुद्धि)

हम सभी अधोहस्ताक्षरी पंचगण आज दिनांक 12-10-2025 को यह पंचनामा लिख देते हैं कि आज परिक्षेत्र सहायक डिण्डे, एवं क्षेत्रीय पटवारी ग्राम जलेरा में आये तथा आवेदक श्री चन्द्रिका सिंह पिता शिवनरायण बैगा निवासी जलेरा के निजी भूमि खसरा क्र. 137, 375 रकबा 0.220, 1.960 हे० भूमि पर खड़े साल वृक्ष में से 10 नग साल वृक्ष की कटाई हेतु किये गये आवेदन का संयुक्त जाँच हमारे समक्ष किया गया, आवेदक के द्वारा कृषि कार्य में बाधा होने के कारण वृक्ष की कटाई कराना चाहता है। 10 नग साल वृक्षों का नाप कर नम्बर डालकर मार्किंग किया गया, इस वृक्ष की कटाई से किसी व्यक्तियों के द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं किया गया है, किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी।

1. मार्किंग स्थल किसी जलधारा, झरना अथवा तालाब से 20 मीटर के अन्दर नहीं है।
2. किसी पवित्र स्थल से 30 मी० दूरी के अन्दर नहीं है।
3. यह वृक्ष वन महोत्सव या किसी प्रयोजन से रोपण नहीं किया गया है।
4. यह वृक्ष के पास कोई पड़ाव, कब्रिस्तान, श्मशान, मैदान, खलिहान नहीं है।

मार्किंग वृक्षों का विवरण

(1) साल- 210- से०मी०	(4) साल- 240 से०मी०	(7) साल- 222- से०मी०
(2) 〃 250 〃	(5) 〃 188 〃	(8) 〃 190 〃
(3) 〃 200 〃	(6) 〃 180 〃	(9) 〃 220 〃
		(10) 〃 268 〃

उपरोक्तानुसार संयुक्त जाँच किया गया एवं मौका पंचनामा बनाया गया पंचनामा पढ़कर सुनकर सही पाकर अपना हस्ताक्षर किये जो सनद रहे वक्त पर काम आवे।

(हस्ताक्षर)

(1) श्री राजमन सिंह पिता कुन्दीका प्रसाद बैगा ग्रा० जलेरा — राजमन
(2) 〃 अंकित पिता जयपाल सिंह — 〃 — 〃 — अंकित
(3) 〃 युवराज पिता रामसेवक सिंह — 〃 — 〃 — Yuvraj
(4) 〃 विनोद पिता रामप्रसाद सिंह — 〃 — 〃 — विनोद सिं
(5) 〃 रामलखन पिता छत्रपति साहू बिजनापुर — (हस्ताक्षर)

पंचनामा मेरे द्वारा लिखा गया (हस्ताक्षर)

परिक्षेत्र सहायक
डिण्डे

(हस्ताक्षर) रा. नि. (SG3)
12.10.25

प्ररूप–ख
(नियम 3 (1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग रामानुजगंज जिला वाड्रफनगर छत्तीसगढ़

विषय :– वृक्ष कटाई के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन ।

संदर्भ :– आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 1934 दिनांक 24.9.2025

संदर्भित आदेश के अनुपालन में, संयुक्त स्थल निरीक्षण (दिनांक) 12.10.2025 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे–

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार आवेदक के पुत्र
(ख) सरपंच / पंच ......
(ग) पटवारी / कोटवार ......
(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी ग्रामवासी

वृक्षों के पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी–1 / खसरा) के अनुसार भूमि में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:–

(क) प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या 10 साल वृक्ष
(ख) रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या X
(ग) इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की पूर्व अनुज्ञा दिनांक X को दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से दर्शित होता है कि–

(क) शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या X
(ख) परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या 10 साल वृक्ष
(ग) कृषि / व्यवसाय के हित में कटाई हेतु वृक्षों की प्रजाति और संख्या 10 साल वृक्ष
(घ) वृक्ष कटाई के नियम, 2022 के नियम 2 की प्रयोज्य खण्ड, यदि कोई हो, ...
(ड.) अन्य विवरण कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न होना एवं ~~स्वयं~~ शासन को विक्रय करने बावत ।

परिक्षेत्र सहायक डिंडो

राजस्व अधिकारी का नाम
पदनाम रा.नि. डिंडो
हस्ताक्षर [signature]
12.10.25

वन अधिकारी का नाम
पदनाम
हस्ताक्षर ......

प्रति,

श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय
अनुविभाग (रा.)रामानुजगंज
जिला--बलरामपुर रा.गंज (छ.ग.)

विषय :- **मौका जांच प्रतिवेदन**

संदर्भ :- **क्रमांक/1934/वाचक /अ.वि.अ./2025 रामानुजगंज दिनांक** 24.9.2025

महोदय

विषयांतर्गत लेख है, कि ग्राम बसेराखुर्द पटवारी हल्का नं. 11 रा.नि.म. डिण्डो तह. रामचन्द्रपुर के आवेदक चन्द्रिका सिंह पिता शिवनारायण जाति खैरवार के खाते की भूमि खसरा नं. 137, 375, रकबा क्रमशः 0.2700, 1.960 हे. भूमि आवेदक के नाम अभिलेख दर्ज है, उक्त खसरा की भूमि का मौका जांच मेरे द्वारा एवं सहायक वनपरिक्षेत्र अधिकारी डिण्डो के द्वारा दिनांक ...12.10.2025 को मौके पर उपस्थित होकर आवेदक तथा ग्रामवासीयों के समक्ष नाप किया गया, मौके पर उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा कास्त है। उक्त भूमि पर 10 साल (सरई) के वृक्ष हरा स्थित है। सभी वृक्ष परिपक्व हो गए है, उक्त वृक्षों को वन विभाग द्वारा गिनती कर मार्किंग किया गया, जिसकी छाती की गोलाई निम्नानुसार अंकित किया गया हैं।

क्र.	प्रजाति	छाती की गोलाई	ख.न.	भौतिक स्थीति
1	साल (सरई)	210 से.मी.	137	हरा
2	साल (सरई)	250 से.मी	137	हरा
3	साल (सरई)	200 से.मी	375	हरा
4	साल (सरई)	240 से.मी	375	हरा
5	साल (सरई)	188 से.मी	375	हरा
6	साल (सरई)	180 से.मी	375	हरा
7	साल (सरई)	222 से.मी	375	हरा
8	साल (सरई)	190 से.मी	375	हरा
9	साल (सरई)	220 से.मी	375	हरा
10	साल (सरई)	268 से.मी	375	हरा

रा.नि. [illegible]
12.10.25

उक्त भूमि पर स्थित वृक्षों की स्थीति इस प्रकार है।

5. किसी जल धारा झरने अथवा तलाब के किनारे से 20 मीटर के अन्दर नहीं आते है।
6. किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर के क्षेत्र सम्मिलित किसी उपवन में नहीं आते है।
7. वन महौत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षों के प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में नहीं आते है।
8. पड़ाव, कब्रिस्तान अथवा शमसान स्थल गौठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किये गये किसी क्षेत्र में नहीं आते है।

अतः सयुक्त रूप से मौका जांच प्रतिवेदन श्रीमान् जी की सेवा में सादर सम्प्रेषित है।

सलंग्न :–

मौका पंचनामा की प्रति।

व. नि. रक्षक
12.10.25

परिक्षेत्र सहायक
डिण्डे

पंचनामा

आज दिनांक 12.10.2025 को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) रामानुजगंज के ज्ञापन क्र. 1934 /वाचक /अ.वि.अ./2025 रामानुजगंज दिनांक 24.9.2025 के परिपालन में ग्राम बसेराखुर्द प.ह.न. 11 तह. रामचन्द्रपुर के आवेदक चन्द्रिका सिंह पिता शिवनारायण जाति खैरवार के खाते की भूमि खसरा नं. 137, 375 रकबा क्रमशः 0.2700, 1.960 हे. भूमि पर 10 वृक्ष साल का मौका जांच राजस्व निरक्षक एवं सहायक वनपरिक्षेत्र डिण्डों के द्वारा आवेदक तथा उपस्थित ग्रामवासीयों के समक्ष मौका जांच किया गया, मौके पर स्थित उक्त वृक्षो को वन विभाग द्वारा नाप कर मार्किंग किया गया है, एवं वृक्षो की छाती की गोलाई की सूची तैयार किया गया।

यह पंचनामा मौके पर उपस्थित ग्रामवासीयों के समक्ष तैयार किया पढ़कर सुनाया एवं उनका हस्ताक्षर कराया गया।

उपस्थित ग्रामवासीयों के हस्ताक्षर

Ankit Singh

Yuvraj

रा. नि. (स०)
12.10.25

परिक्षेत्र सहायक
डिण्डो